



260

- 1 -

27/9/16
3-PM

न्यायालय माचनीय राजस्व मण्डल ज्वालियर कैम्प सागर १०० प्र०

भागीरथ S/O पारीबल स्टेशन निवासी कुंड
जिला उत्तरप्रदेश ॥ बाम ॥
रेस्ट-9188-11

देवेन्द्र + 1, जिला भोजा कुंड जि० उत्तरप्रदेश
----- आवेदक

प्र० क्र० आर. 23-2-07 उत्तरप्रदेश ता.पेशी 27-9-16

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35 १३१ म० प्र० भू० रट० सं०

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्न प्राप्ता है:-

१ 1१ यह कि, उक्त प्रकरण माचनीय न्यायालय के समक्ष आज दिनांक 27-09-2016 को नियत था।

१ 2१ यह कि पुनरीक्षण कर्ता के अधिवक्ता आर.बी. भट्ट ने अन्य दो प्रकरणों में माचनीय न्यायालयों में अपनी उपस्थिति दी है।

१ 3१ यह कि अधिवक्ता आर.बी. भट्ट लकवे रोग से पीड़ित है इस कारण इस प्रकरण की पुकार को नहीं सुन पाये। अनुपस्थिति उनकी मजबूरी वश हुई है। जो माफ किए जाने योग्य है। यदि प्रकरण पुनः नम्बर पर कायम नहीं किया गया, तो पक्षकार को क्षति होगी।

॥ प्राप्ता ॥

अतः माचनीय मंडोदय से सिवेदन है कि प्रकरण पुनः नम्बर पर कायम किए जाने की कृपा करें।

सागर
दिनांक- 27-09-2016

अधिवक्ता वास्ती
पुनरीक्षणकर्ता

Ryse

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अधि अधि. क्र. क्र.
24-10-16	<p> कापेडक कारिमापक जी मा-वी मरत उपस्थित। कापेडक कारिमापक जवाय कि कोट में देरी के पड़ना के कारण हुआ कि प्रमाण मरत पैरी में स्थापित किया जा चुका है। इस कारण वेस्येयन कापेडक उसी दिन प्रमाण का किया गया। इस कारण कारिमापक जवाय किया गया कि प्रमाण वेस्येयन का मरत प्रमाण के पुनः मरत-पा किया मरत। कापेडक कारिमापक जवाय का कारण समाधान का एक होने के मरत प्रमाण वेस्येयन किया मरत है प्रमाण इसी को पा मरत किया मरत है प्रमाण मरत है। मरत </p>	<p> for-29-11 R.B. Bhatt Adv. 24-10-16 </p>

(Handwritten mark)